न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया– आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद संख्या 74/2023

वादीगण–

1– अमृतलाल पुत्र नत्थुराम
2– श्रवणराम पुत्र नत्थुराम
3– चम्पालाल पुत्र नत्थुराम
4– गोमतीदेवी पत्नी नत्थुराम
जातियान् मेघवाल निवासीयान ग्राम चौखा तहसील व जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण–

1– खींवराज पुत्र प्रभुलाल जाति भंसाली निवासी–डी–117 शास्त्रीनगर जोधपुर
2– शान्तिलाल पुत्र कोजमल जाति बांठीया निवासी–आजाद चौक बालोतरा जिला बालोतरा
3– संदीप कुमार पुत्र गणपतचन्द पटवारी जाति पटवारी निवासी– रावली गली बालोतरा जिला बालोतरा
4– राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार झंवर जिला जोधपुर

वाद बाबत खातेदारी घोषणा रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनाँक 30/7/2024

वादीगण ने एक वाद बाबत् खातेदारी घोषणा रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88,188,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा बोरानाडा के खसरा संख्या 32 रकबा 4. 19 बीघा (0.8013 हैक्टेयर) स्थित है जिसे आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित की जायेगी। उक्त भूमि पूर्व में खातेदार अर्जुन पुत्र सवाई कौम ढाढ़ी (मिरासी) की खातेदारी में दर्ज थी। इनके द्वारा पंजीकृत बैचान दस्तावेज से वादीगण के पिता/पति नत्थूराम पुत्र चुन्नीलाल जाति मेघवाल निवासी चौखा तहसील जोधपुर एवं अन्य 06 व्यक्तियों के पक्ष में कर दिया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

जो कि बैचान दिनांक 22.04.1989 को निष्पादित कर दिनांक 24.04.1989 को उप–पंजीयक लूणी पु0 सं0 1 जिल्द संख्या 05 पृष्ठ संख्या 11 क्रम संख्या 111 पर पंजीकृत हैं। इसी आधार वादीगण के पिता/पति का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया। वादीगण व अन्य सद्भाविक कृषकों के बीच बंटवाड़ा नही हुआ। राजस्व रेकर्ड में शामलाती दर्ज है। वादीगण के पिता/पति ने वादग्रस्त आराजी के संबंध में किसी व्यक्ति को आम मुख्तयार नियुक्त नही किया है। चूंकि इनका देहान्त दिनांक 01.09.2010 को हो गया हैं। वादीगण के पिता/पति ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी में से अपना हक–हिस्सा का किसी प्रकार से बैचान हस्तान्तरण नहीं किया। इनके हक–हिस्से की भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त हैं।

यह है कि वादीगण ने तहसीलदार झंवर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता/पति नत्थुराम का देहान्त दिनांक 01. 09.2010 को हो चुका है, इस कारण से विरासत का नामान्तरकरण वादीगण के नाम दर्ज किया जावें, लेकिन तहसीलदार झंवर ने किसी प्रकार की कार्यवाही नही कर नाम दर्ज करने से स्पष्ट मना कर दिया , इस कारण से वादीगण को वाद बाबत् खातेदारी घोषणा रेकर्ड दुरूस्ती का प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। प्रतिवादीगण गलत राजस्व रेकर्ड के आधार पर वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जा–काश्त उपयोग–उपभोग में दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया है।

इस कारण से वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री किया जावे कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बोरानाडा तहसील झंवर के खसरा संख्या 32 रकबा 4.19 बीघा (0.8013 हैक्टेयर) में से वादीगण को 1/7 हिस्से का खातेदार–काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि बैचान हस्तान्तरण मुलकित नही करें तथा कब्जा,काश्त उपयोग–उपभोग में दखलअंदाजी नही करें।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

जो कि बैचान दिनांक 22.04.1989 को निष्पादित कर दिनांक 24.04.1989 को उप–पंजीयक लूणी पु0 सं0 1 जिल्द संख्या 05 पृष्ठ संख्या 11 क्रम संख्या 111 पर पंजीकृत हैं। इसी आधार वादीगण के पिता/पति का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया। वादीगण व अन्य सद्भाविक कृषकों के बीच बंटवाड़ा नही हुआ। राजस्व रेकर्ड में शामलाती दर्ज है। वादीगण के पिता/पति ने वादग्रस्त आराजी के संबंध में किसी व्यक्ति को आम मुख्तयार नियुक्त नही किया है। चूंकि इनका देहान्त दिनांक 01.09.2010 को हो गया हैं। वादीगण के पिता/पति ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी में से अपना हक–हिस्सा का किसी प्रकार से बैचान हस्तान्तरण नहीं किया। इनके हक–हिस्से की भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त हैं।

यह है कि वादीगण ने तहसीलदार झंवर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता/पति नत्थुराम का देहान्त दिनांक 01.09.2010 को हो चुका है, इस कारण से विरासत का नामान्तरकरण वादीगण के नाम दर्ज किया जावें, लेकिन तहसीलदार झंवर ने किसी प्रकार की कार्यवाही नही कर नाम दर्ज करने से स्पष्ट मना कर दिया , इस कारण से वादीगण को वाद बाबत् खातेदारी घोषणा रेकर्ड दुरूस्ती का प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। प्रतिवादीगण गलत राजस्व रेकर्ड के आधार पर वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जा–काश्त उपयोग–उपभोग में दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया है।

इस कारण से वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री किया जावे कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बोरानाडा तहसील झंवर के खसरा संख्या 32 रकबा 4.19 बीघा (0.2013 हैक्टेयर) में से वादीगण को 1/7 हिस्से का खातेदार–काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि बैचान हस्तान्तरण मुलकित नही करें तथा कब्जा,काश्त उपयोग–उपभोग में दखलअंदाजी नही करें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

Scanned by CamScanner

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण के समन रजिस्टर एडी से भेजे गये, उनकी रसीदें अधिवक्ता द्वारा पेश की गई, जो कि शामिल पत्रावली हैं।

प्रतिवादीगण के जवाबदावा बाबत् अनेकानेक अवसर दिये गये, परन्तु जवाब पेश नही किये जाने पर जवाब दावा बंद किया गया। वादीगण अधिवक्ता द्वारा वादी अमृतलाल का साक्ष्य शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 04 तहसीलदार झंवर से जांच रिपोर्ट ली गयी, जो शामिल मिसल की गई।

हमनें पत्रावली का अवलोकन एवं विश्लेषण किया। वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। विद्वान वादीगण अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 32 रकबा 4.19 बीघा (0.8013 हैक्टेयर) भूमि में वादीगण को 1/7 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें तथा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि किसी बैचान हस्तान्तरण नही किया जावें तथा उपयोग–उपभोग में दखलअंदाजी नहीं करें।

प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद इत्तला कोई जवाब दावा प्रस्तुत नही हुआ।

प्रतिवादीगण संख्या 04 तहसीलदार झंवर ने पत्रांक/ कोर्ट/2024/290 दिनांक 08.07.2024 के जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसके द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम बोरानाडा खसरा संख्या 32 रकबा 0.8013 बीघा भूमि के वादीगण के पिता नत्थुराम पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा 1/7 जाति मेघवाल निवासी चौखा तहसील व जिला जोधपुर के नाम आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज है। इसके नाम से कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण) जोधपुर के द्वारा प्रकरण संख्या 1989 रकबा 1400 वर्गगज का आवासीय पट्टा विलेख जारी किया हुआ है, जिसका राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 1679 के जरिये आवासीय किस्म दर्ज है। उक्त भूमि पर पक्की चार–दिवारी बनाई हुई तथा अधिकांश भूमि पर पक्के

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

निर्माण किये हुये, शेष भू–खण्डों में विभक्त है, सम्पूर्ण खसरा आवासीय दर्ज होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 88,189,53 के अधिकार प्रोद्भूत नही होने के कारण दावा खारिज किये जाने का निवेदन किये जाने का निवेदन किया।

अतः इन तमाम परिस्थितियों में वादीगण का वाद कृषि भूमि से संबधित नही होकर आवासीय भूमि जो कि भू–खण्डों में विभक्त होकर अधिकाश भूमि पर पक्के निर्माण होने से विधि द्वारा बाधित होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 88,188,53 के अधिकार प्रोद्भूत नही होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

निर्णय आज दिनांक 30/7/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 74/2023

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
01.अमृतलाल पुत्र नत्थुराम 02.श्रवणराम पुत्र नत्थुराम 03.चम्पालाल पुत्र नत्थुराम 04.गोमतीदेवी पत्नी नत्थुराम जातियान मेधवाल निवासीयान ग्राम चौखा तहसील व जिला जोधपुर।		01..खीवराज पुत्र प्रभुलाल जाति भंसाली निवासी डी 117 शास्त्रीनगर जोधपुर। 02.शान्तिलाल पुत्र कोजमल जाति बाढिया निवासी आजाद चौक बालोतरा जिला बालोतरा 03.संदीप कुमार पुत्र गणपतचन्द्र पटवारी जाति पटवारी निवासी रावली गली बालोतरा जिला 04.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झवर जोधपुर।

दावा अंतर्गत धारा 88.53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 74/2023 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः वादीगण का वाद इन तमाम परिस्थितियो मे वादीगण का वाद कृषि भूमि से सबधित नही होकर आवासीय भूमि जो कि भू–खण्डो मे विभक्त होकर अधिकाश भूमि पर पक्के निर्माण होने से विधि द्वारा बाधित होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अतर्गत धारा 88,53,188 के अधिकार प्रोदभूत नही होने से खारिज किया जाता है।

नीज...मुबलिक..............................बाबत.................................खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह..फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.................... ....को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 30.07.2024 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिष्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड

Scanned by CamScanner